हिन्दी हमारी मातृभाषा

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान

भारत देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा। यह आर्य देश कहलाता है। अध्यात्मिक नींव पर इसकी जड़ें हैं। अध्यात्म किसी से घृणा नहीं करता। सबके साथ सद्भावना और प्रेम का वातावरण बनाया जाता है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे देश के सभी लोग बोलते है और समझते हैं। इसी के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करता है। मनुष्य के समान पशु–पक्षियों की भी भाषा होती है। मानव की भाषा शब्दात्मक भाषा होती है। शब्द के माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा को बोलने से व्यक्ति के ज्ञान की गहराई का पता चलता है। भाषा मनुष्य की दुर्जनता और सज्जनता का ज्ञान करा देती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है किन्तु ये सभी प्रान्तीय बोलियां हैं। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे सभी देश के लोग समझते, बोलते और पढ़ते हैं। प्रत्येक देश की अपनी–अपनी भाषाएं होती हैं। मातृभाषा इसको इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले माता जिस भाषा को बोलती है बच्चा उसी भाषा में बोलने लगता है। इसीलिए हिन्दी को मातृभाषा कहा जाता है। जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा उस प्रदेश की मातृभाषा कही जाती है। प्रान्तीय भाषाएं प्रान्त विशेष तक ही सीमित रहती है। किन्तु राष्ट्रीय भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र में समझी और बोली जाती है।

हिन्दी की विशिष्टता एवं सहजता के कारण भारतवासियों ने इसी भाषा में सृजन किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती गुजराती भाषी होते हुए भी अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश प्रकाश को हिन्दी भाषा में लिखा। राजा राम मोहनराय बंगलाभाषी होते हुए भी हिन्दी में पुस्तकें लिखीं। रीतिकालीन कवि पद्माकर ने हिन्दी साहित्य में बेजोड़ रचनाएं की हैं। हिन्दी सरल सुबोध होने के कारण एक व्यापक भाषा है। हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत अधिक है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में बोली ओर समझी जाने वाली हिन्दी भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान,

बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में बोली और समझी जाने के कारण एक विश्व व्यापी भाषा बन गयी है। अंग्रेजी भाषा एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। इस भाषा को प्रायः विश्व के सभी लोग बोलते और समझते हैं। हिन्दी भी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन सकती है। साहित्यिक दृष्टि से भी हिन्दी विश्व की किसी भी भाषा से पीछे नहीं है। विश्व साहित्य में तुलसीदासजी से श्रेष्ठत्तर कवि कोई दिखलाई नहीं पड़ता। अपनी मर्यादा, व्यापकता, लोकभावना, आदर्शवाद, यर्थाथवाद और असाम्प्रदायिकता आदि गुणों से वे विश्व में अतुलनीय हैं। कबीर, सूर, जायसी, केशव, सेनापति, विद्यापति, भारतेन्दु हरिशचन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निरालाजी, महादेवी वर्मा, प्रेमचन्द आदि हिन्दी के महानायकों से विभूषित हिन्दी व्यापक और हृदयस्पर्शी है। समृद्ध साहित्य एवं युवप्रवर्तक कवियों के होने पर अहिन्दी भाषियों में लोकप्रिय होने के कारण संविधान में इसके विकास की भावना निहित होने पर भी आज विडम्बना यह है कि हिन्दी की प्रगति जितनी होनी चाहिए थी उतनी अब तक नहीं हो पायी है। हिन्दी का राजनीति की कारा में बंधी होने से भी उसकी प्रगति में बाधा पहुंचती है। दक्षिण भारत में द्रविड मुनेत्र कडगम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलाया जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी का विकास वहां के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कम हुआ। भाषा के आधार पर प्रान्तों का विभाजन भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में बाधक बना। आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा आदि का भाषा के आधार पर प्रान्तों का निर्माण भी ठीक नहीं कहा जा सकता। जिस मनोवृत्ति से इन प्रान्तों का निर्माण हुआ, उसी मनोवृत्ति से आज लोग हिन्दी के विरोध में क्षेत्रीय भाषा को ही अधिक महत्त्व देते हैं। आज का अभिभावक भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाने में गर्व की अनुभूति करता है। यहां अध्ययन करने वाले बच्चे एरोप्लेन जानते हैं किन्तु जहाज नहीं। ऐसे बच्चों एवं संरक्षकों से हिन्दी भाषा के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। हिन्दी के विकास में एक बड़ी बाधा है राजकीय, केन्द्रीय कार्यालय। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ऐसे कई केन्द्रीय प्रतिष्ठान ओनर कार्यालय मिल जायेंगे जहां आदेश सर्वप्रथम अंग्रेजी में निगर्मित होते हैं और फिर हिन्दी अनुदित। इस मानसिकता से हिन्दी का विकास कैसे हो सकता है। होना तो यह चाहिए कि हमारे यहां कोई भी आदेश हिन्दी भाषा में प्रसारित हो और फिर अन्य भाषाओं में अनुदित हो।

आज आवश्यकता है हिन्दी के विकास में बाधक कारणों का सम्यक अध्ययन कर इसका निवारण करने की, जिससे महात्मा गांधी जैसे हिन्दी भक्तों की आत्मा जहां कही भी हो शान्ति का अनुभव कर सके। बहुत से देश ऐसे हैं जहां के लोग अपनी भाषा को ही महत्त्व देते हैं। वहां के नेता जिस किसी भी देश में जाते हैं वे केवल अपनी मातृभाषा में ही वार्तालाप करते हैं। भारत के नेता जब किसी देश में जाते हैं तो अपनी मातृभाषा हिन्दी में भाषण न देकर इंगलिश में भाषण देते हैं। इस प्रथा से न केवल मातृभाषा का अपमान होता है बल्कि हिन्दुस्तानियों का भी अपमान होता है। हिन्दी भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस एवं रचनात्मक कार्य किये जाने चाहिए। भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र ने कहा है–

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति का मूल।

निज भाषा उन्नति बिना, मिटे न हिय का शूल।।